मंत्रालय ने योजना आयोग और संबंधित राज्य सरकारों से वानिकी के क्षेत्र के लिए आवंटनों में वृद्धि करने का भी अनुरोध किया है। राज्य सरकारों से संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत वन संसाधनों की सुरक्षा करने और उनका विकास करने के लिए स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने की भी सलाह दी गई है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 वन भूमियों के डाइवर्जन को विनियमित करने हेतु बनाया गया है।

केवला देव पक्षी अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी

1057. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में केवला देव पक्षी अभ्यारण्य में विदेशों से आने वाले पक्षियों की संख्या में कमी आने के क्या-क्या कारण हैं;

(ख) इन पक्षियों की संख्या में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की कमी आने का अनुमान लगाया है;

(ग) इस अभ्यारण्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान पक्षियों के अवैध शिकार की कितनी घटनाएं हुई तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया; और

(घ) इस अभ्यारण्य में पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने, अवैध चराई तथा अतिक्रमण एवम् अवैध शिकार को रोकने के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) और (ख) केवला देव राष्ट्रीय पार्क, भरतपुर केवलादेवी पक्षी अभ्यारण्य के नाम से लोकप्रिय है। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, विदेशों से इस पार्क में प्रवास करने वाले पक्षियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस पार्क में पक्षियों के अवैध शिकार संबंधी केवल एक मामले का पता चला है। तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और मामला न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है ।

(घ) पार्क के लिए जल की पर्याप्त मात्रा प्रत्येक वर्ष राज्य सिंचाई विभाग से प्राप्त की जाती है। अतिक्रमणों और अवैध चराई को रोकने के लिए पार्क के चारों ओर पत्थर की दीवार बनाई गई है। पार्क में वायरलैस से लैस 8 जांच चौकियां स्थापित की गई हैं। सुरक्षा गार्डों द्वारा नियमित गश्त भी की जाती है।

Development of Forests in Orissa

1058. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state: (a) whether the State Government of Orissa has submitted any project/proposal to the Union Government for the development of forests in that State;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken to approve those projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARNDI): (a) to (c) The Government of Orissa submitted project proposals to the National Afforestation & Eco-Development Board (NAEB) under the following three schemes:—

(1) Integrated Afforestation & Eco-Development Project Scheme (IAEPS).

(2) Area Oriented fuelwood & Fodder Project Scheme (AOFFP)

(3) Non-Timber Forest Produce Scheme (NTFP).

for implementation in the IXth Plan Period. Of these, the following have been sanctioned:—

(1) AOFFP: for a total project cost of Rs. 1130.94 lakhs to treat 16,665 hectares.

(2) NTFP: for a total project cost of Rs. 492 lakhs to treat 6,000 hectares.

Three projects proposals under the IAEPS scheme for Chilka, Salandi and Tel Watersheds have been sent by the State Government on the 16th May, 1998 and are being processed.

वायु तथा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियमों के अंतर्गत दर्ज मामले

1059. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल